भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 471
25 जुलाई, 2024 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ

471. श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:
श्री श्रीरंग चंद्रू बारणे:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) बाजार में प्रवेश करने और बड़ी, अधिक स्थापित कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह उद्योग अकुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं, अपर्याप्त भंडारण और परिवहन सुविधाओं तथा ऋण और वित्तपोषण की कमी से त्रस्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन मुद्दों के समाधान के लिए अब तक किए गए उपायों से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन मुद्दों के समाधान के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): यह देखा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), रोजगार, निर्यात आदि में अपने योगदान के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा है। वर्ष 2022-23 को समाप्त होने वाले पिछले आठ वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र लगभग 5.35% की औसत वार्षिक वृद्धि दर (एएजीआर) से विकसित हो रहा है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) भी वर्ष 2015-16 में 1.61 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1.92 लाख करोड़ हो गया है (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार)। नवीनतम वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) रिपोर्ट के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार वर्ष 2014-15 में 17.73 लाख से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 20.68 लाख हो गया है। इसके अलावा, कृषि-खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2014-15 में 13.7% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 23.4% हो गया है।

(ख) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और विभिन्न चुनौतियों पर काबू पाने में इसकी मदद करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना अर्थात प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित योजना प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) लागू कर रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश भर में पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन, कृषि उपज की बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन, समग्र विकास और वृद्धि के

लिए खेत से खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना के निर्माण में मदद करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/इकाइयों/परियोजनाओं की स्थापना और मौजूदा उद्योगों का विस्तार करने के लिए पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत अनुदान-सहायता (जीआईए) के रूप में पूंजीगत सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 30 जून, 2024 तक, मंत्रालय ने पीएमकेएसवाई की अनुरूप घटक योजनाओं के अंतर्गत 41 मेगा फूड पार्क, 399 शीत श्रृंखला परियोजनाओं, 76 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, 588 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 61 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज परियोजनाओं के निर्माण और 52 ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है। यह योजना वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए चालू है, जिसका कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है। 30 जून, 2024 तक पीएमएफएमई के अंतर्गत सहायता के लिए कुल 92,549 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण, विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 तक छह साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जा रही है और 30 जून , 2024 तक योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुल 172 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को सहायता के लिए मंजूरी दी गई है।

*****